



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124689

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2126 वर्ष 2026

मोनिका उर्फ मोनी

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अंजनी कुमार शाहवाल, राम सजीवन प्रजापति

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. सूची पुनरीक्षित की गई। अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री राम सजीवन प्रजापति और राज्य की ओर से ए.जी.ए.. को सुना गया और रिकॉर्ड देखा गया।

2. नोटिस तामील होने के बावजूद, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें अलीगढ़ के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा जमानत आवेदन संख्या 156/2026 (जो मुकदमा अपराध संख्या 248/2025 से जुड़ी है) में 19.01.2026 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला थाना गभाना, जिला अलीगढ़ में बी.एन.एस. की धारा 103(1), 315, 238 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता पूरी तरह से बेगुनाह महिला है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि कथित घटना के चार दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता का नाम न तो एफआईआर में है और न ही सूचना देने वाले के उस बयान में जो बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता को बाद में सिर्फ मृतक की पत्नी, श्रीमती नीरू देवी के बयान के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है।

5. अधिवक्ता ने आगे कहा कि श्रीमती नीरू देवी के बयान के अनुसार, उनके पति अशोक कुमार 01.08.2025 को यह कहकर घर से निकले थे कि वे सह-आरोपी कन्हैया के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। अगले दिन, जब उन्होंने अपने पति के मोबाइल पर संपर्क किया, तो कन्हैया ने कॉल उठाया और उन्हें बताया कि मृतक नहा रहा है, और फिर कॉल काट दिया। इसके बाद, वे अपने पति से संपर्क नहीं कर पाई और 24.08.2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान श्रीमती नीरू देवी के बयान की ओर भी दिलाया, जिसमें उन्होंने माना कि उन्हें 24.08.2025 को जानकारी मिली थी कि अलीगढ़ ज़िले के गभाना पुलिस स्टेशन के इलाके में एक अज्ञात शव मिला है, लेकिन वह तुरंत पुलिस स्टेशन नहीं गई। एक खास सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वह पहले कन्हैया से मिलना चाहती थीं, लेकिन वह अपने घर पर नहीं थे, इसलिए वह 27.08.2025 को ही गभाना पुलिस स्टेशन पहुँच पाईं।

7. इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता के पास से कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई है जो अपराध में उसकी संलिप्तता साबित करे, और कथित घटना से उसे जोड़ने वाला कोई सीधा सबूत भी नहीं है। स्वतंत्र गवाहों के बयानों से भी कथित अपराध को अंजाम देने में अपीलकर्ता की कोई भूमिका सामने नहीं आती है।

8. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का आगे कहना है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है और अपीलकर्ता के खिलाफ कानूनी रूप से स्वीकार्य कोई भी सामग्री न होने के बावजूद चार्ज-शीट दाखिल की गई है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 27.08.2025 से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने का वचन देता है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाए।

9. इसके उलट, विद्वान ए.जी.ए.. ने ज़मानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि सह-आरोपी कन्हैया, जो अपीलकर्ता का पति है, ने अपराध किए जाने के कथित तरीके के बारे में बयान दिया है। हालाँकि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह माना कि कथित इकबालिया बयान के अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई स्वतंत्र सबूत मौजूद नहीं है जो अपीलकर्ता को अपराध करने से जोड़ता हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है। घटना को किसी चश्मदीद गवाह ने नहीं देखा है। अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था। उसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। जांच के दौरान अपीलकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र सबूत नहीं मिला है, सिवाय सह-आरोपी के कबूलनामे के। अपीलकर्ता को मामले में फंसाना मुख्य रूप से मृतक और अपीलकर्ता के बीच कथित रिश्ते से पैदा हुए शक पर आधारित लगता है।

11. मुकदमा की खूबियों पर कोई राय दिए बिना, और आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत, अपीलकर्ता द्वारा काटी गई जेल की अवधि, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने और ज़मानत देने के तय नियमों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाती है कि अपीलकर्ता ज़मानत पाने का हकदार है।

12. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और **स्वीकार** की जाती है। अलीगढ़ में स्पेशल जज (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा ज़मानत अर्जी संख्या 156/2026 में 19.01.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

13. अपीलकर्ता **मोनिका उर्फ मोनी** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करने पर, ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करें:

(i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही मामले की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या वादा देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(ii) अपील करने वाला व्यक्ति मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने मौजूद रहेगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

(iii) अपील करने वाला व्यक्ति विचारण न्यायालय के सामने एक शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) देगा कि वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर, जब अभियोजन पक्ष के गवाह मौजूद हों, कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा। ऐसा न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उचित आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(v) अगर अपील करने वाली महिला विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करती है और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत कोई घोषणा जारी की जाती है, और वह उस घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होती है, तो विचारण न्यायालय को कानून के मुताबिक उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने की आज्ञादी होगी।

(vi) अपील करने वाली महिला को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा की शुरुआत, (b) आरोप तय करना, और (c) बी.एन.एस.एस. की धारा 351

के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि किसी ऐसी तारीख पर

उसकी गैर-मौजूदगी जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है।

(vii) विचारण न्यायालय अपीलकर्ता की रिहाई के बाद मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा।

15. ज़मानत बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और संबंधित न्यायालय अपीलकर्ता की ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

2 जून, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।